BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:-

NIRANJAN BAGCHI ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...Respondents

MASTER INDEX

S.NO.	Particulars	Page No.
1.	Compliance Report on behalf of District Magistrate, Dehradun in Compliance of the order dated 13.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal	1-3
2.	**Annexure A** Letter from Superintendent Engineer, Jal Vigyan Mandal, Baharabad along with photographs	4-34
3.	**Annexure B** Copy of the compliance received from office of Municipal Corporation, Dehradun	35-114

Panel Counsel for State of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:-

NIRANJAN BAGCHI ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...Respondents

VOLUME-I

INDEX

S.NO.	Particulars	Page No.
1.	Compliance Report on behalf of District Magistrate, Dehradun in Compliance of the order dated 13.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal	1-3
2.	**Annexure A** Letter from Superintendent Engineer, Jal Vigyan Mandal, Baharabad along with photographs	4-34
3.	**Annexure B** Copy of the compliance received from office of Municipal Corporation, Dehradun	35-60

Contined in Volume-II

(From Pages 61-114)

Panel Counsel for State of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,PRINCIPAL BENCH,NEW DELHI
ORIGNAL APPLICATION NO. 417 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Niranjan Bagchi ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ... Respondents

COMPLIANCE REPORT BY DM DEHRADUN NO IN TERMS OF THE ORDER DATED 13.05.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above mentioned case was listed for hearing before the Hon'ble tribunal and the relevant portions of the directions passed by the Hon'ble tribunal vide order dated 13.05.2024 are reproduced as follows:

   "10. At this stage, Ms. Sonika, District Magistrate, Dehradun has appeared and on the question of demarcation of Flood Plain Zone of river Rispana, made a statement that the same shall be completed and demarcation will be done within two months from today. She made this statement and rendered undertaking before this Tribunal appearing through virtual mode in person.

   23. We hope and trust that various officials who have made statement before Tribunal by appearing in person or through virtual mode or physically, shall comply with the undertaking/ directions above so as not to give any occasion to this Tribunal to proceed further for noncompliance of the said undertaking.

26. We also direct that in case of non-compliance of the undertaking on the part of various officials as noted above, Principal Secretary, Urban Development, State of Uttarakhand; District Magistrate, Dehradun and Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun shall remain present before Tribunal on the next date.

27. All the above concerned officials shall file their compliance Report(s) before the next date.

28. List this matter on 24.07.2024."

2. That in compliance of directions given by Hon'ble tribunal, A report has been received from Superintendent Engineer, Jal Vigyan Mandal, Baharabad. which mentions that the demarcation of the flood plain zone of Rispana river is being done. The details of approach and methodology of flood plain demarcation work from the starting point of Rispana river i.e Shikhar Fall to Mothorwala (Bindal River Confluence) is updated as follows:
   a. The work of Data Preparation, Flood Frequency Analysis, Rainfall Analysis & catchment Delineation has been completed.
   b. Survey and hydrological studies and Hydraulic Modelling work has been completed. As a result, the work of the flood lines for different return periods i.e 25 years & 100 Years has been completed.
   c. The work of preparation of flood plain maps, ground truth verification work has been completed and the preparation of the report is in process.
   d. Interim Notification and asking for objections and disposal.

e. Final notification & making of Flood Lines on Shajra Sheets.

f. Installation of Pillars at site.

That Superintendent Engineer, Jal Vigyan Mandal, Baharabad has mentioned wide letter dated 18-07-2024, in the compliance of order dated 13-05-2024 of Hon'ble Tribunal the demarcation has been completed and the same is Annexed herewith as **ANNEXURE A.**

3. It is also submitted herein that the undersigned has been received a letter no. 2165 dated 20-07-2024, by the respondent no 4. That the copy of the letter dated 20-07-2024 of Municipal Corporation, Dehradun is annexed herewith as **ANNEXURE B.**

4. That the report is being submitted by District Magistrate Dehradun, Uttarakhand for the perusal of Hon'ble tribunal in Compliance of direction given by Hon'ble Tribunal.

Dated: 22.07.2024

(SONIKA)
DM, Dehradun

District Magistrate
Dehradun

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
जल विज्ञान मण्डल,
बहादराबाद।

प्रेषित,

बाढ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी/
जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्रांकः– 1024 /प्र0अ0/FPZ दिनांकः– 18/7/2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण कार्य की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय पत्रांक 204/एल0बी0सी0–24, दिनांक 15.07.2024.

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.05.2024 में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा रिस्पना नदी के बाढ परिक्षेत्रण के Demarcation को 02 माह मे करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश के कम में रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य कराया जा रहा है। रिस्पना नदी के प्रारम्भिक बिन्दु शिखर फॉल से मोथरोवाला (बिन्दाल नदी संगम) तक बाढ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य की Approch & Methodology का विवरण एवं कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1- Data Preparation, Flood Fequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation का कार्य पूर्ण हो गया है।
2- Survey and hydrological studies and hydraulic modelling का कार्य पूर्ण हो गया है। जिसके फलस्वरूप Flood flows for different return periods ie: 25 years & 100years की बाढ लाईन (Flood lines) का कार्य पूर्ण हो गया है।
3- Preparing flood zone maps, Ground truth verification का कार्य पूर्ण हो गया है एवं Report preparation का कार्य गतिमान है।
4- Interim Notification and asking for objections and disposal.
5- Final notification & Marking of flood lines on Shajra Sheets.
6- Installation of Pillars at Site.

माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा दिनांक 13.05.2024 को रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण का Demarcation हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके कम में दिनांक 12.07.2024 तक Demarcation का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

कमशः–2

अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान नियोजन खण्ड, देहरादून एवं सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा में आई परिसम्पतियों के स्वामियों का विवरण तैयार करने का कार्य उपराजस्व निरीक्षकों द्वारा गतिमान है। बिन्दु संख्या 04 से 06 तक का कार्य हेतु बाढ परिक्षेत्रण प्राधिकारी/जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
जल विज्ञान खण्ड,,
बहादराबाद।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता
जल विज्ञान मण्डल
बहादराबाद

अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल,
देहरादून

पंत्रांकः– /प्र0अ0/FPZ /तदिनांक

प्रतिलिपि– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
जल विज्ञान मण्डल
बहादराबाद

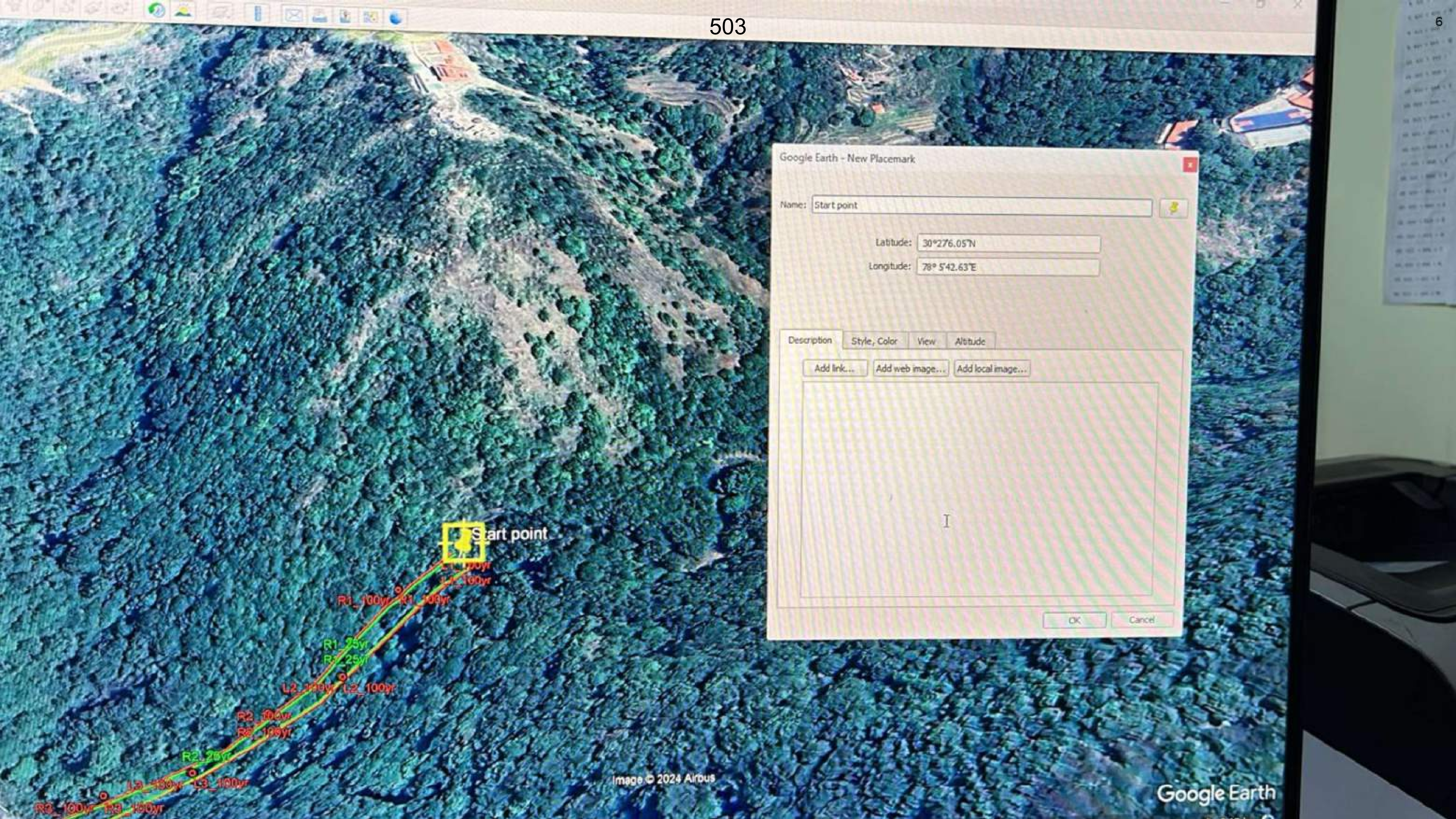
Google Earth - New Placemark
Name: Start point
Latitude: 30°27'6.05"N
Longitude: 78° 5'42.63"E
Description
Style, Color
View
Altitude
Add link...
Add web image...
Add local image...
OK
Cancel
Start point
R1_100yr
R1_25yr
L2_100yr
R2_100yr
R2_25yr
L3_100yr
R3_100yr
Image © 2024 Airbus
Google Earth

504

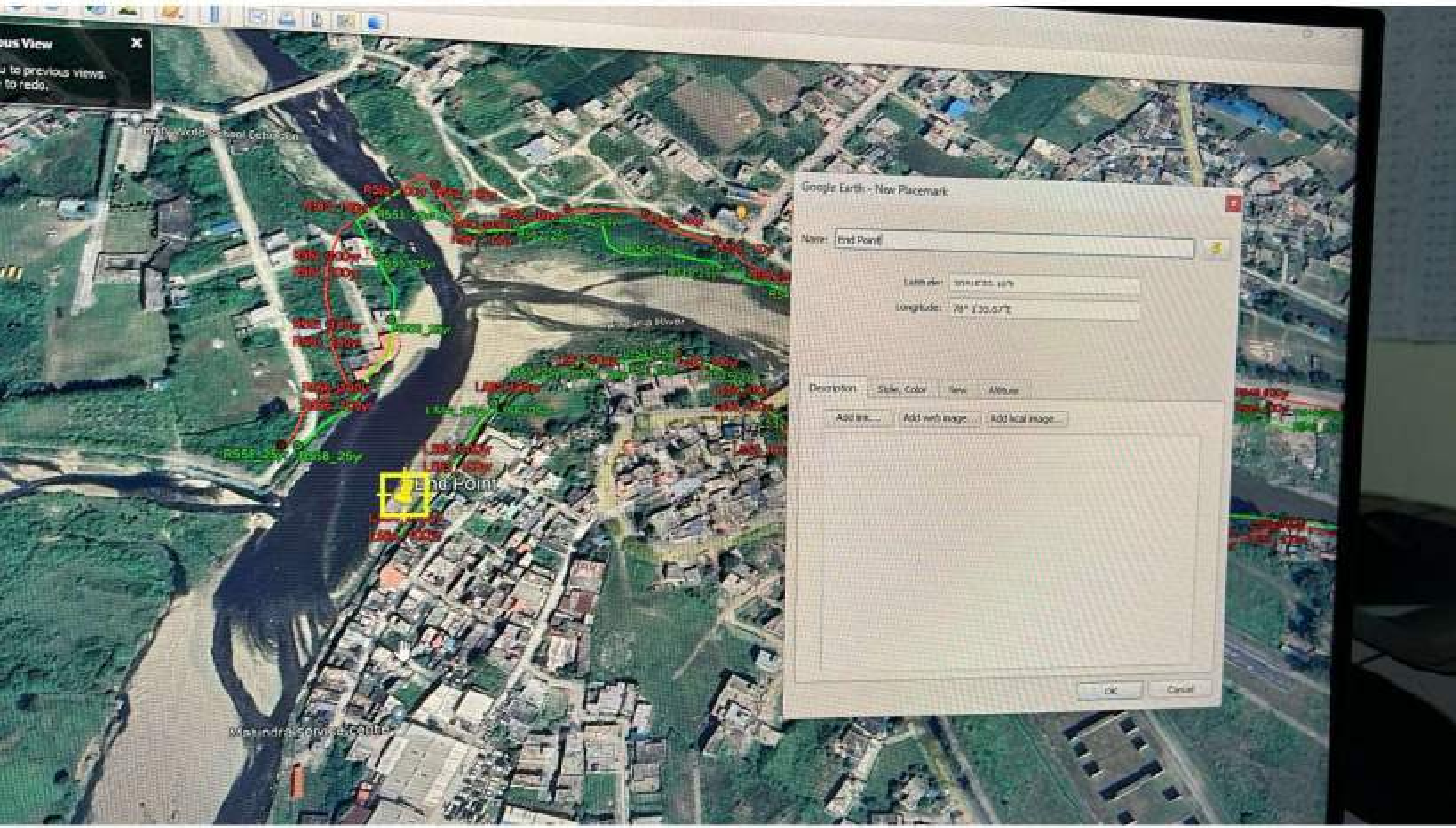
Google Earth - New Placemark
Name:
End Point
Latitude:
Longitude:
Description
Style, Color
View
Altitude
Add link...
Add web image...
Add local image...
OK
Cancel
End Point

506

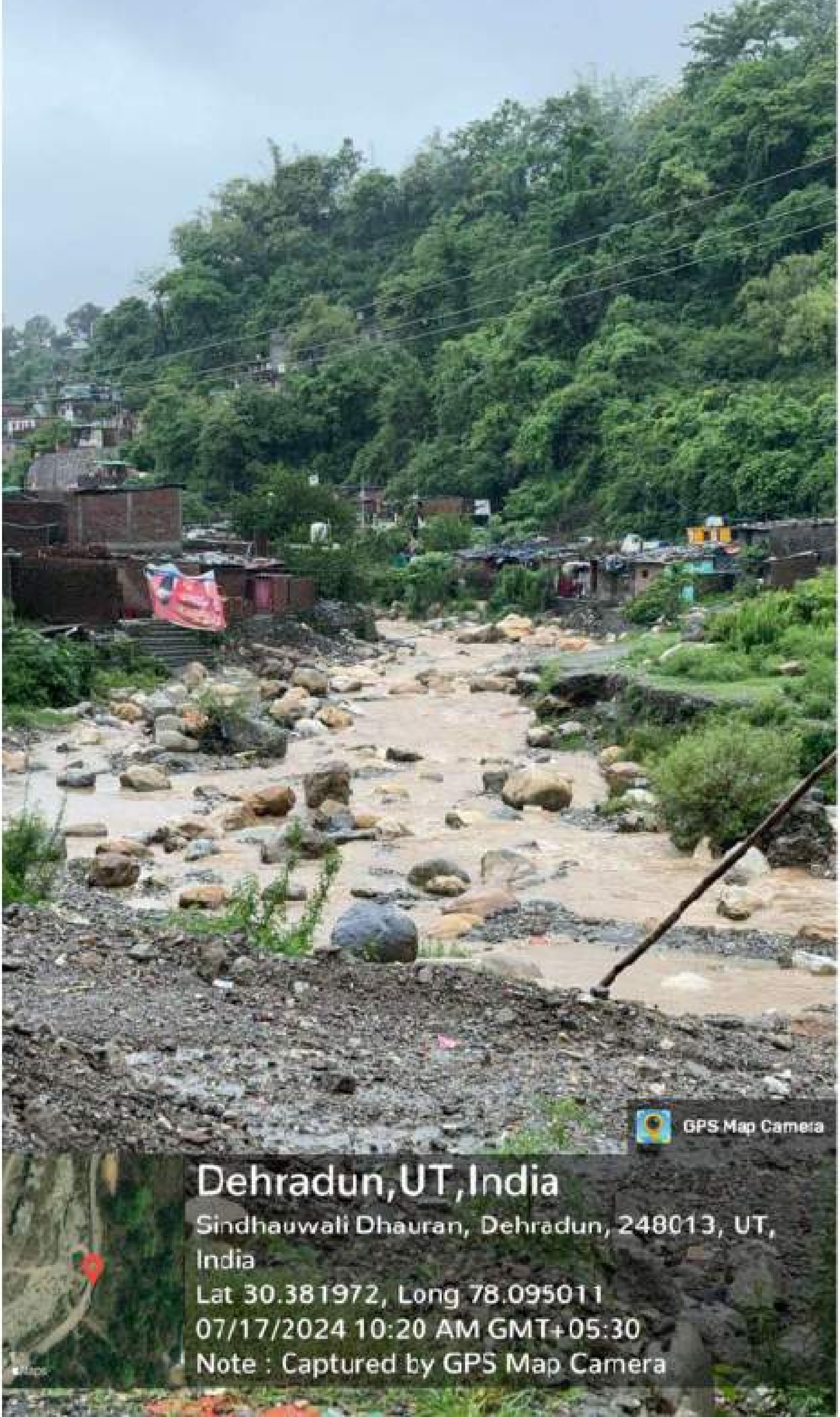
GPS Map Camera
Dehradun,UT,India
Sindhauwali Dhauran, Dehradun, 248013, UT, India
Lat 30.381972, Long 78.095011
07/17/2024 10:20 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

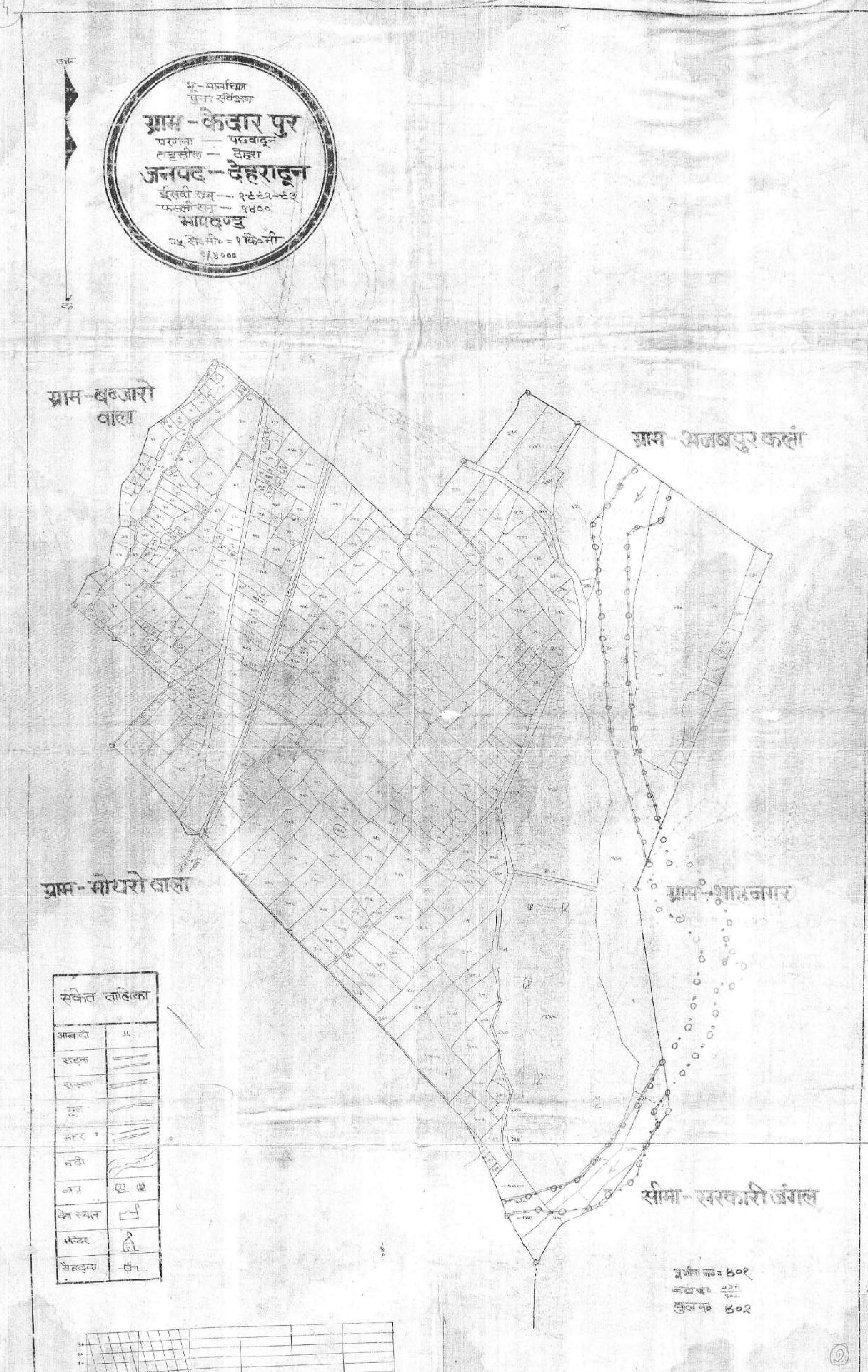
भू-मानचित्र
पुनः सर्वेक्षण
ग्राम - केदार पुर
परगना — पछवादून
तहसील — देहरा
जनपद — देहरादून
मापदण्ड
ग्राम - बन्जारो वाला
ग्राम - अजबपुर कलां
ग्राम - मोथरो वाला
ग्राम - शाहनगर
सीमा - सरकारी जंगल
संकेत तालिका
आबादी
सड़क
नदी
मन्दिर

N
W E
S
सूचित्र
ग्राम जारवन
जनपद देहरादून
मापदण्ड
1/400
सिनौला
मालसी
जोहड़ी
प्रतीत पुरसन्तौर
किशनपुर
विजयपुर गोपीवाला
विजयपुर
हाथीबड़कला
चड़ीवाली
बार्ली गांड
करनपुर खास
कन्डोली
सूची चिन्ह

N
W
E
S
सूचित्र
ग्राम ---- ढाक पट्टी
जिला देहरादून
तिलानी गाँव
दानियों का डांडा
सनौला
चालंग
मालसी
तरला नागल
किशन पुर
सूची
चिन्ह
आबादी
जंगल
टाक
नदी
सड़क

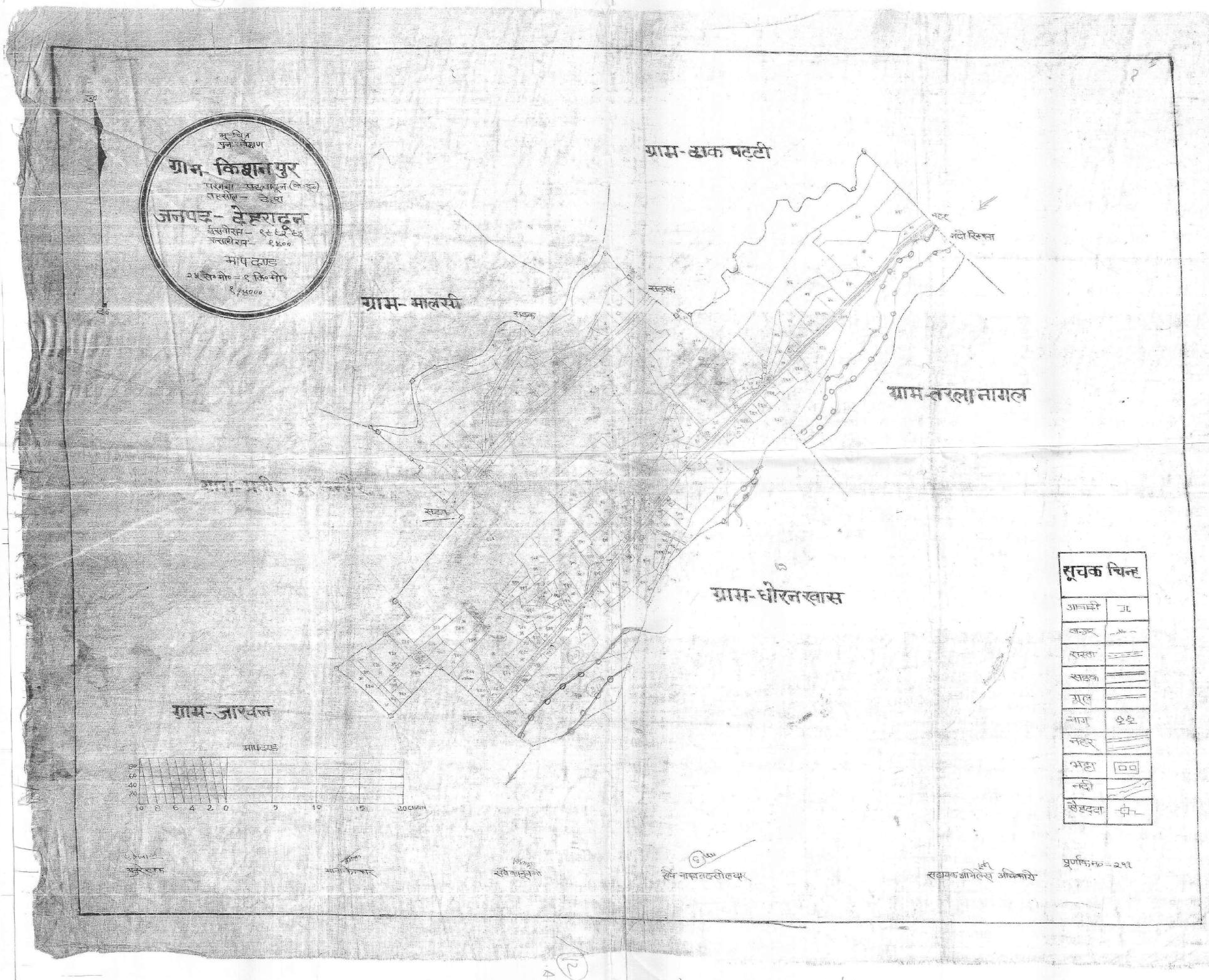
पुनः सर्वेक्षण
ग्राम- किशनपुर
जनपद- देहरादून
माप दण्ड
ग्राम- ढाक पट्टी
ग्राम- मालसी
ग्राम- तरला नागल
ग्राम- धोरन खास
ग्राम- जाखन
सड़क
नहर
नदी रिस्पना
सूचक चिन्ह
आबादी
रास्ता
सड़क
बाग
नहर
भट्ठा
नदी
सेहद्दा
माप दण्ड
20 CHAIN
सहायक अभिलेख अधिकारी

ग्राम-अजबपुरकलाँ
जनपद देहरादून
फसली सन्- १४००
सीमा- धर्मपुर
सीमा- अजबपुर खुर्द
सीमा- चक शाहनगर
सीमा-
अजबपुर चक नं०-२
सीमा- ग्राम
नत्थनपुर

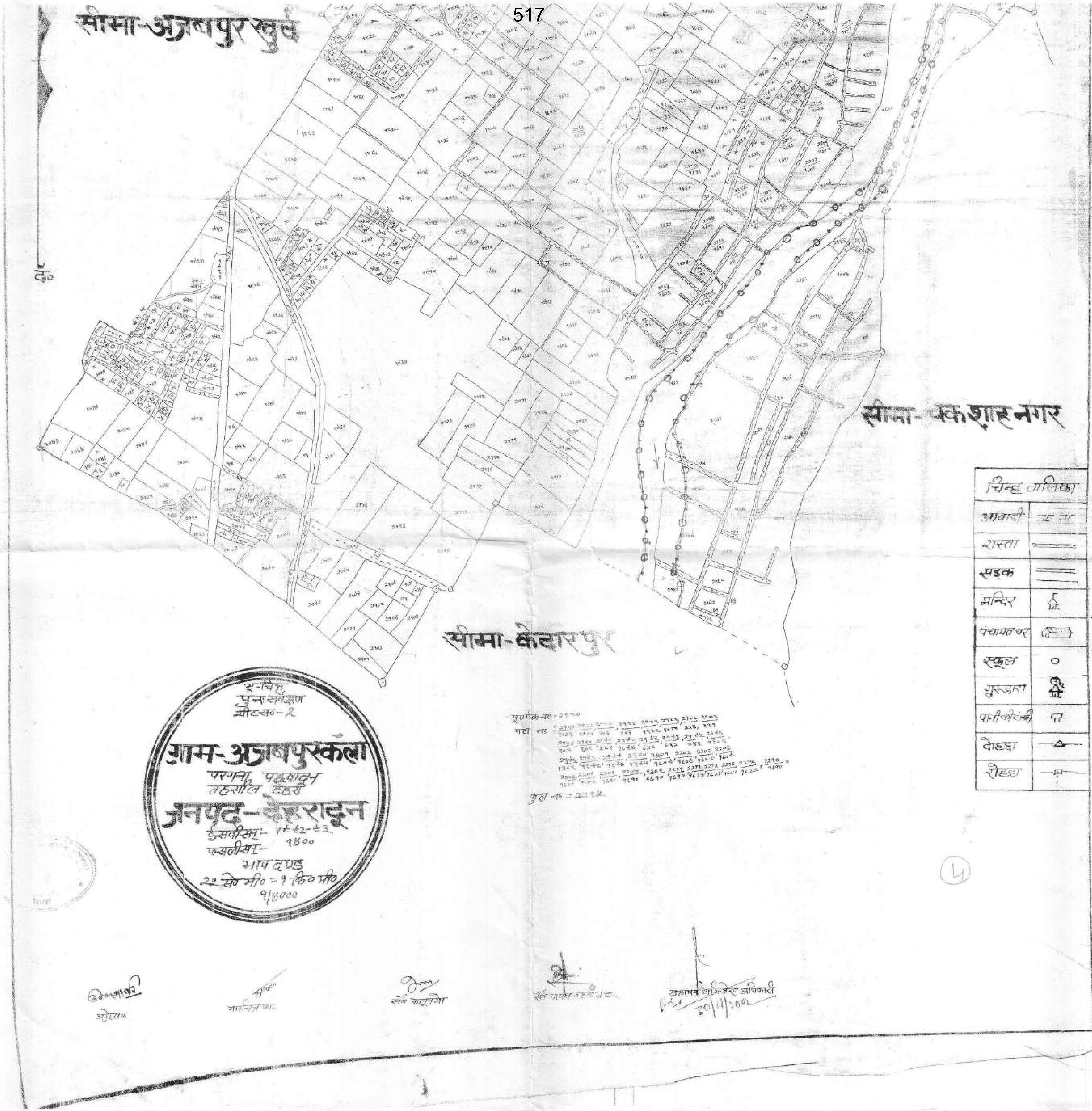
सीमा-अजबपुर खुर्द
सीमा-केदारपुर
ग्राम-अजबपुरकलाँ
परगना पछवादून
तहसील देहरा
जनपद-देहरादून
माप दण्ड
9/5000
चिन्ह तालिका
आबादी
रास्ता
सड़क
मन्दिर
पंचायत घर
स्कूल
गुरुद्वारा
पानी की टंकी
दोहद्दा
सेहद्दा
सहायक भूमि व्यवस्था अधिकारी

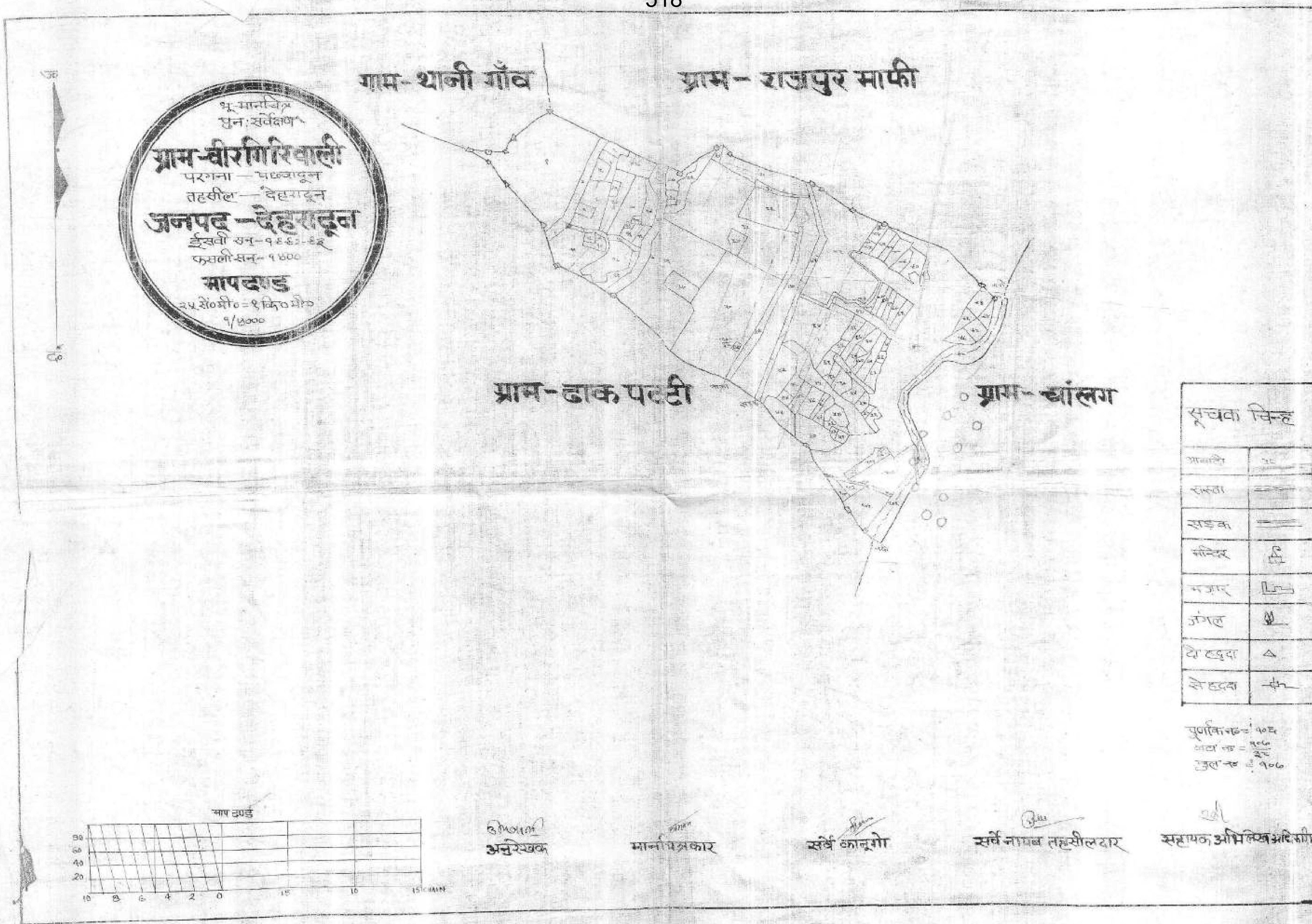

भू-मानचित्र
पुन: सर्वेक्षण
ग्राम-वीरगिरिवाली
परगना — पछवादून
तहसील — देहरादून
जनपद — देहरादून
ईसवी सन-१९९१-९२
फसली सन-१४००
मापदण्ड
२५ सें०मी० = १ कि० मी०
१/४०००
ग्राम-थानी गाँव
ग्राम-राजपुर माफी
ग्राम-ढाक पट्टी
ग्राम-चालंग
सूचक चिन्ह
रास्ता
सड़क
मन्दिर
मजार
जंगल
माप दण्ड
अनुरेखक
मानचित्रकार
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी

उत्तर

भूचित्र ग्राम इन्दरपुर

परगाना - पछवादून - तहसील - देहरादून

ज़िला सह देहरादून

सन चकबन्दी १३८२ फ़सली तदानुसार सन् १९६५ ई.

पैमाना १६" = १ मील

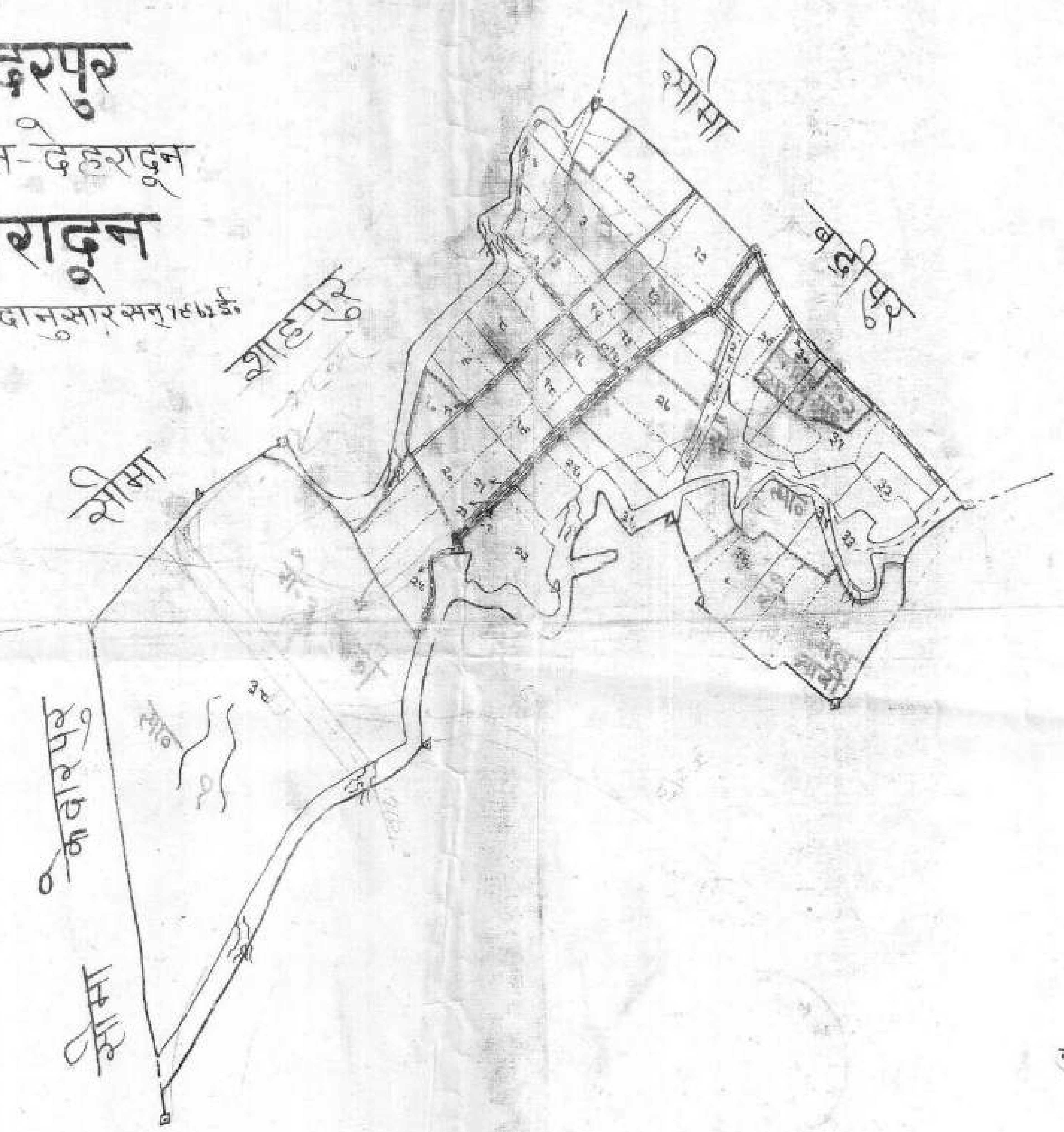

चिन्ह सूची	
आबादी	
नई परती	
बन्जर	
चकमार्ग	
पुल	
नाला	
नदी	
बाग	
भूमिधरी	ध
सीरदारी	ब

कुल नम्बर ३८

नगीना सिंह

अनुरेखक मुख्य अनुरेखक चकबन्दीकर्ता सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी अधिकारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी

(3)
सूचित्र
ग्राम ..... धोरनखास
परगना ... परवादून
तहसील ... देहरा
जनपद देहरादून
किशन पुर
तरला नागल
डांडा धोरन
जारवन
गुजराडा
चिडोवाली
डांडा लखौन्ड नं०-1
डांडा नूरी वाला
कन्डौली
डाडालखौन्ड नं०-1
सूची चिन्ह
आबादी
बाग
जोहड़
कूप
रास्ता
सड़क
नदी
नाला
स्कूल
पन्चायत घर
मन्दिर
बन्जर
Traced By:-
Mohd Firoz Tracer
Mohalla Beriyan Tansath
Distt Muzaffar Nagar.

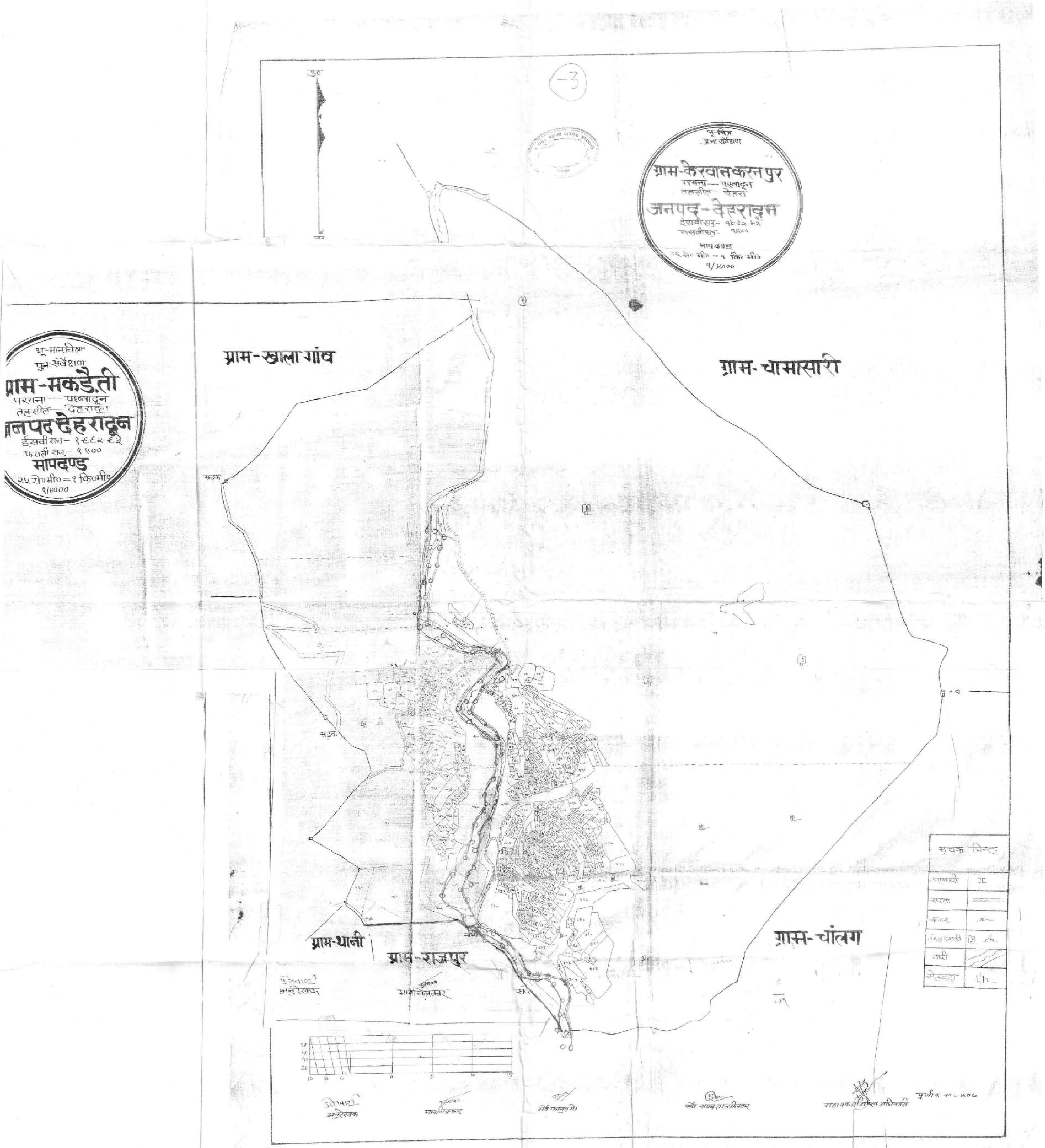
ग्राम-केरवान करनपुर
मापदण्ड
पुन: सर्वेक्षण
ग्राम-मकडैती
तहसील-देहरादून
मापदण्ड
ग्राम-खाला गांव
ग्राम-धामासारी
ग्राम-थानी
ग्राम-राजपुर
ग्राम-चालंग
सूचक चिन्ह
सड़क
नदी
अनुरेखक
मानचित्रकार

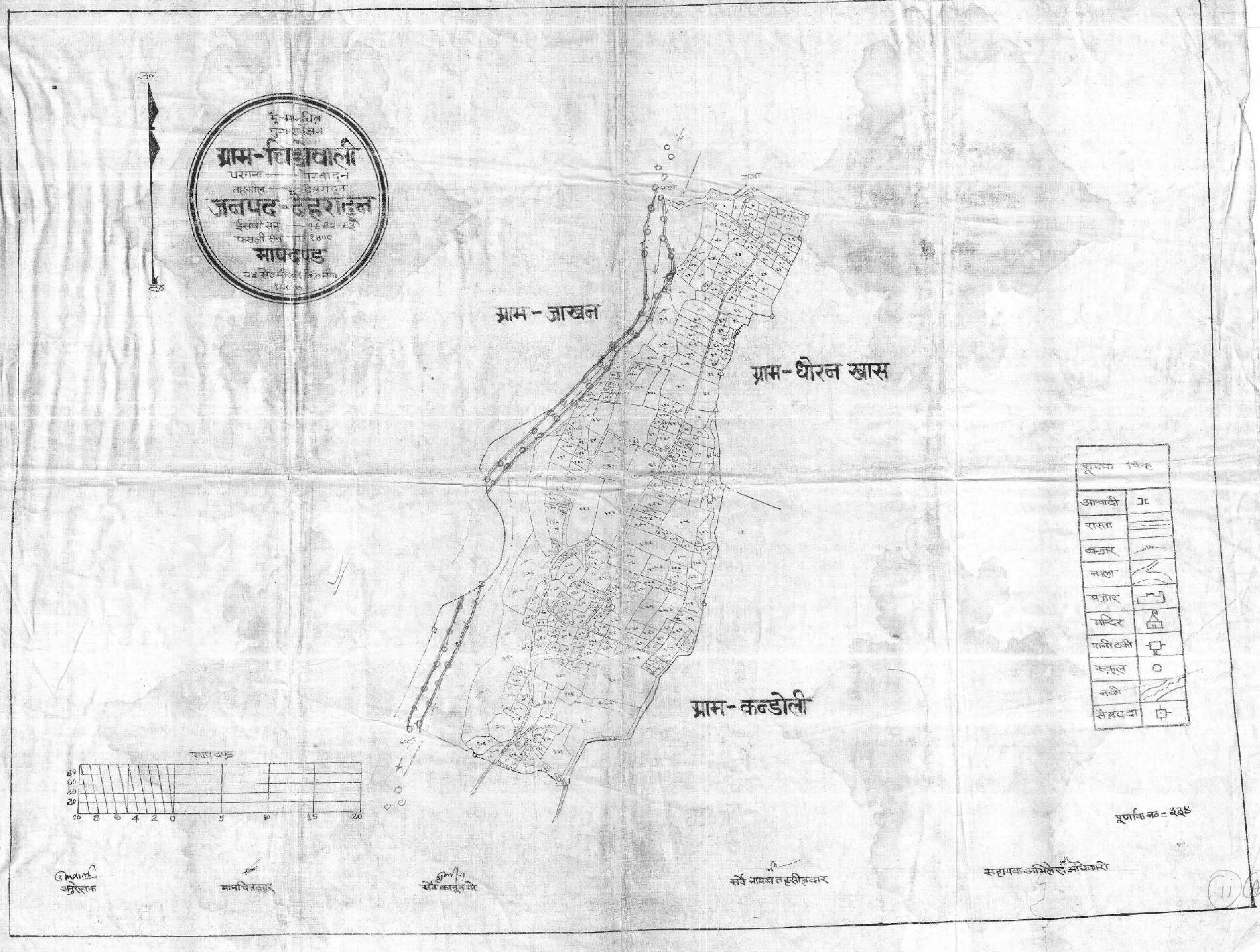
भू-मानचित्र
पुनः सर्वेक्षण
ग्राम-चिड़ोवाली
जनपद-देहरादून
मापदण्ड
ग्राम-जाखन
ग्राम-धोरन खास
ग्राम-कन्डोली
आबादी
रास्ता
मन्दिर
स्कूल
नदी
सेहद्दा
अनुरेखक
मानचित्रकार
सर्वे कानूनगो
सर्वे नायब तहसीलदार
सहायक अभिलेख अधिकारी

ग्राम-चालंग
परगना-परवादून
जनपद-देहरादून
माप दण्ड
ग्राम-चामासारी
ग्राम-राजपुर माफी
ग्राम-वीरगिरिवाली
ग्राम-खुरावा
ग्राम-नगल चक
ग्राम-सोंधा वाली-मानसिंह
ग्राम-कुल्हान करनपुर

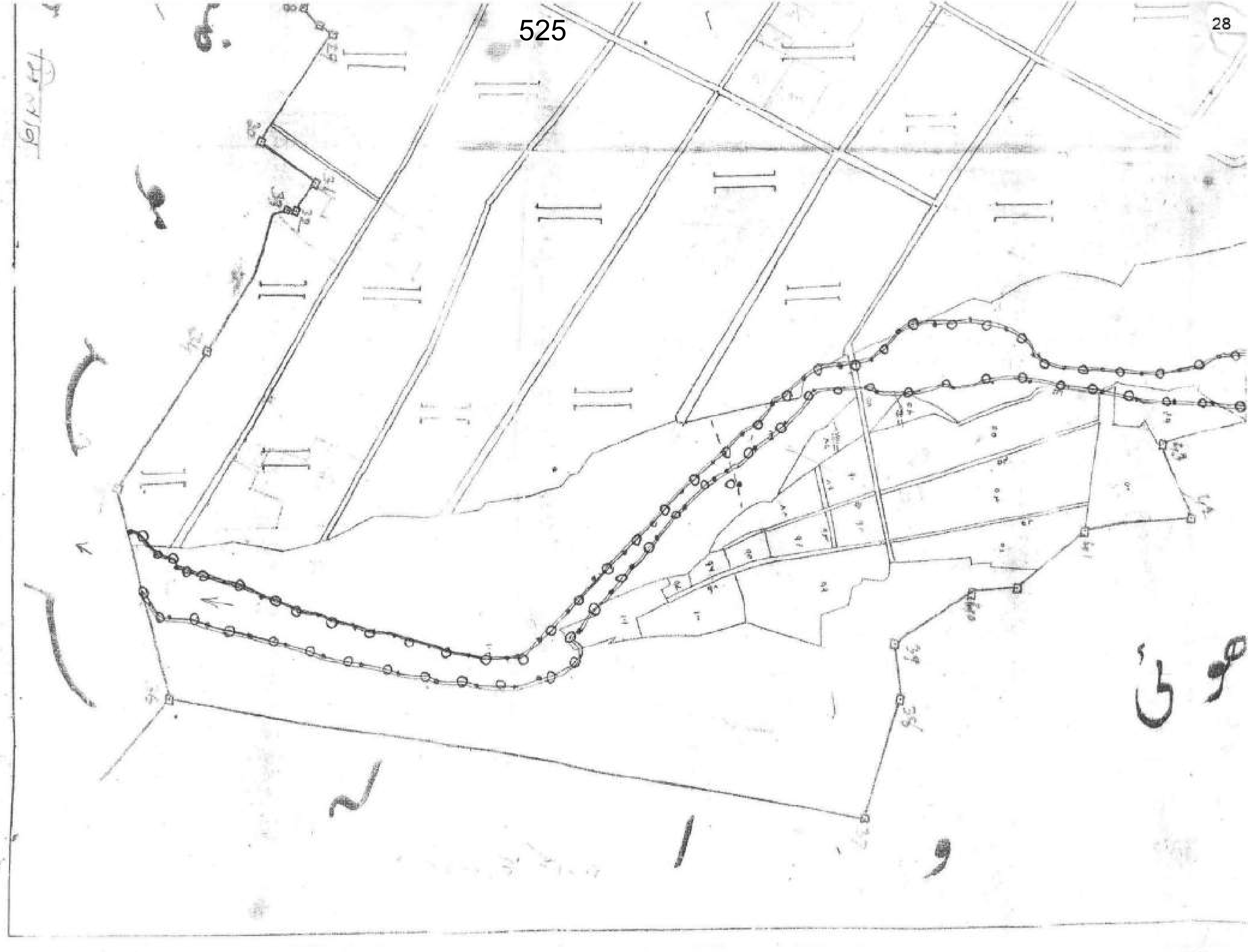

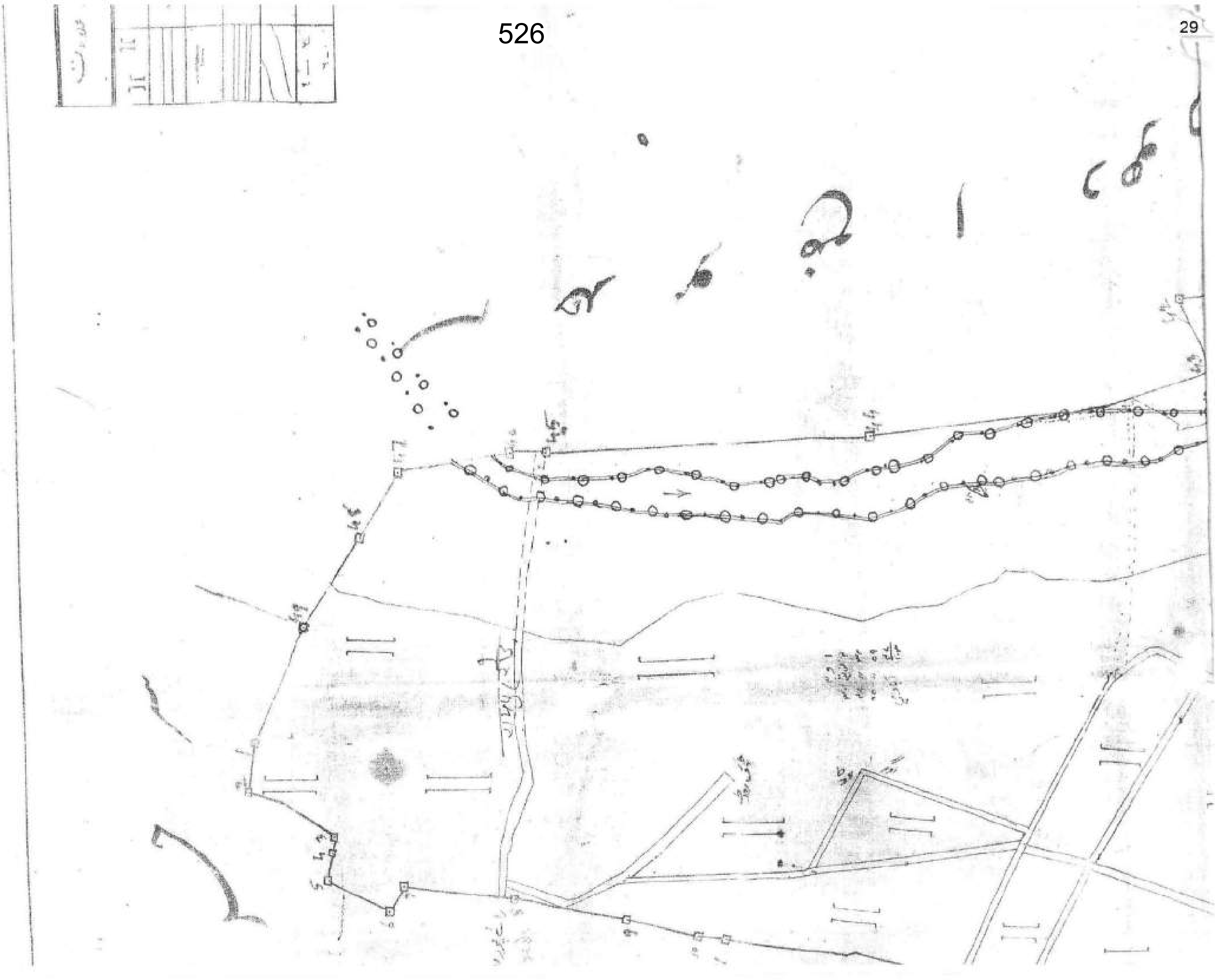

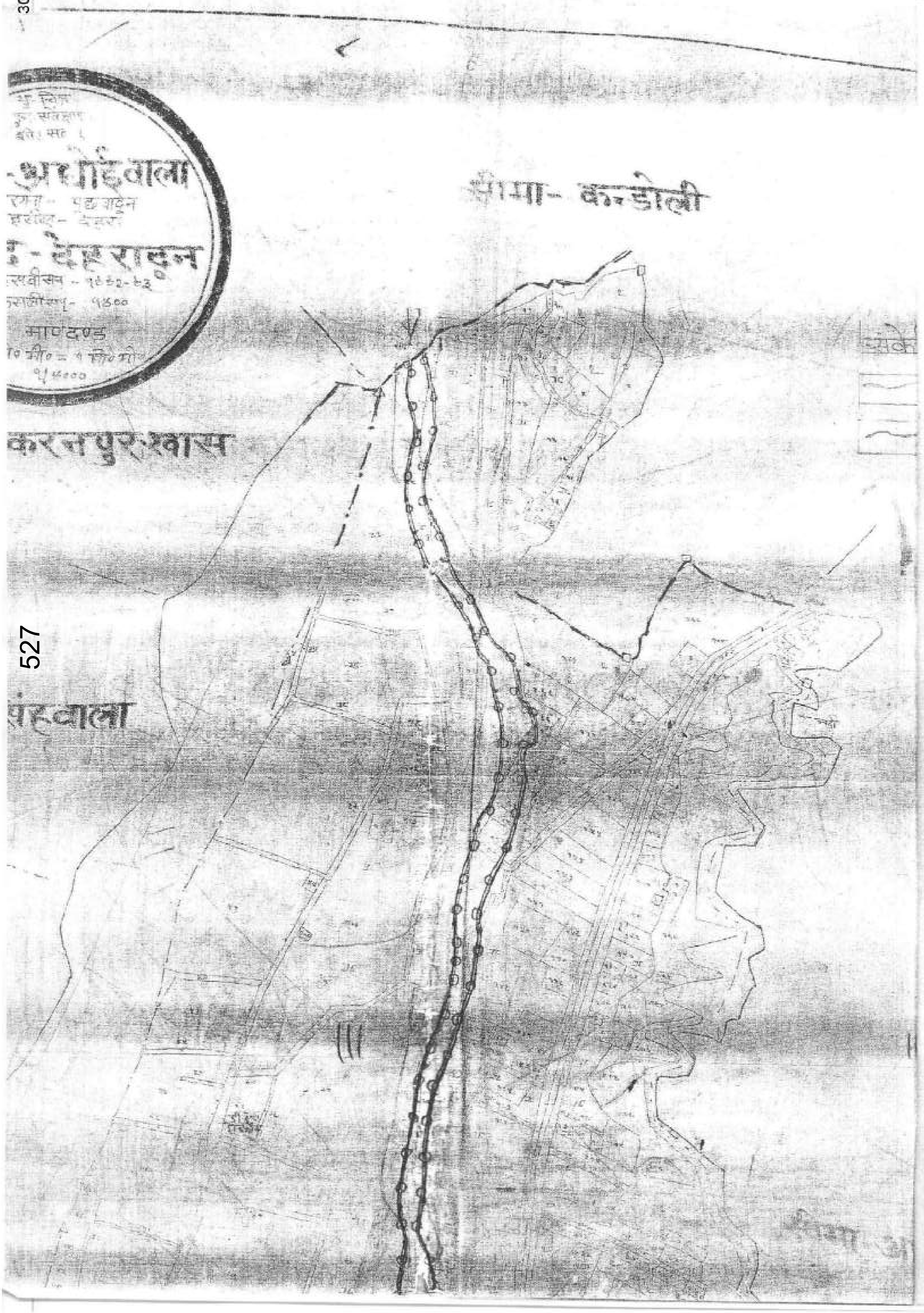
सीमा- कण्डोली
करनपुरखास
मापदण्ड

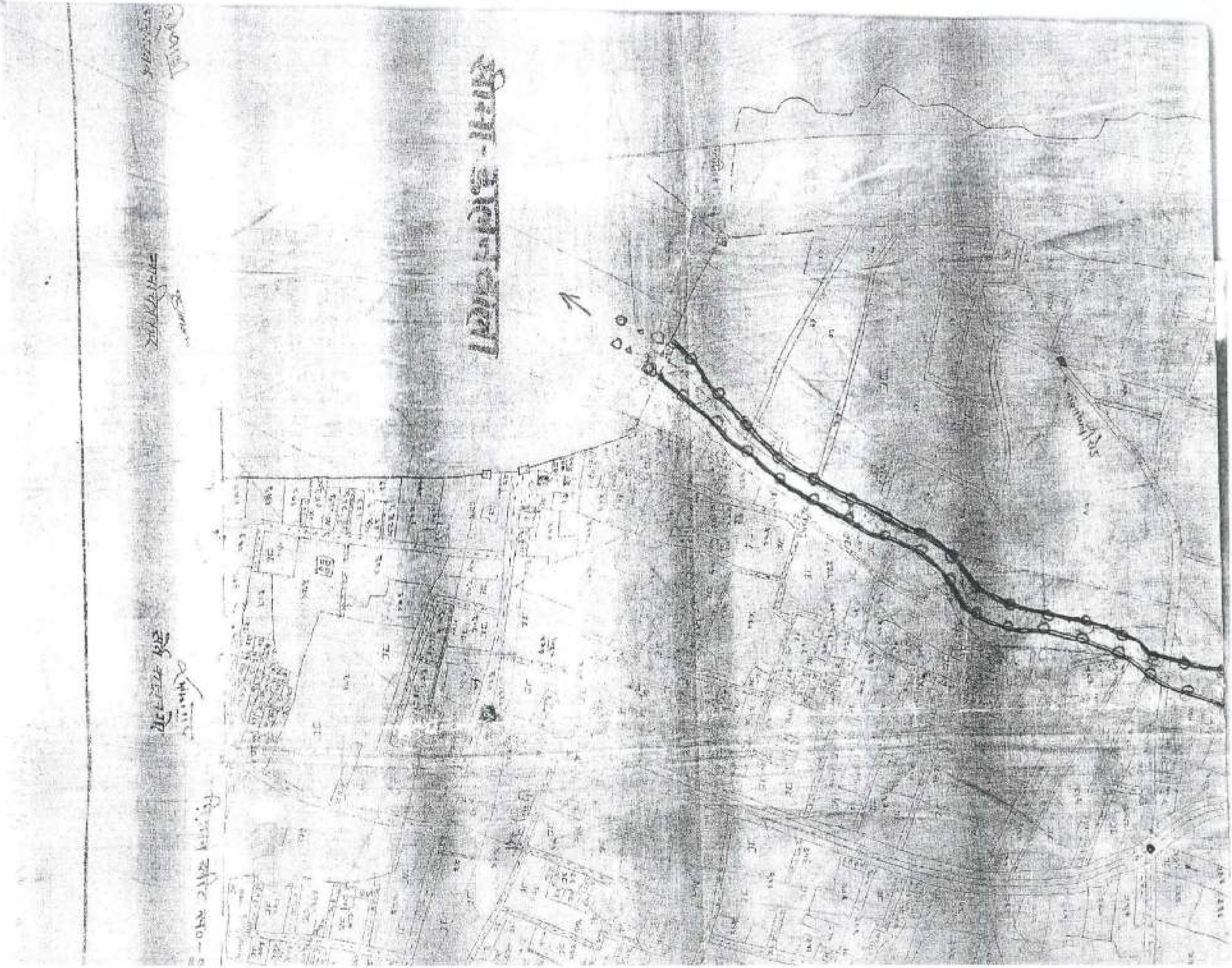

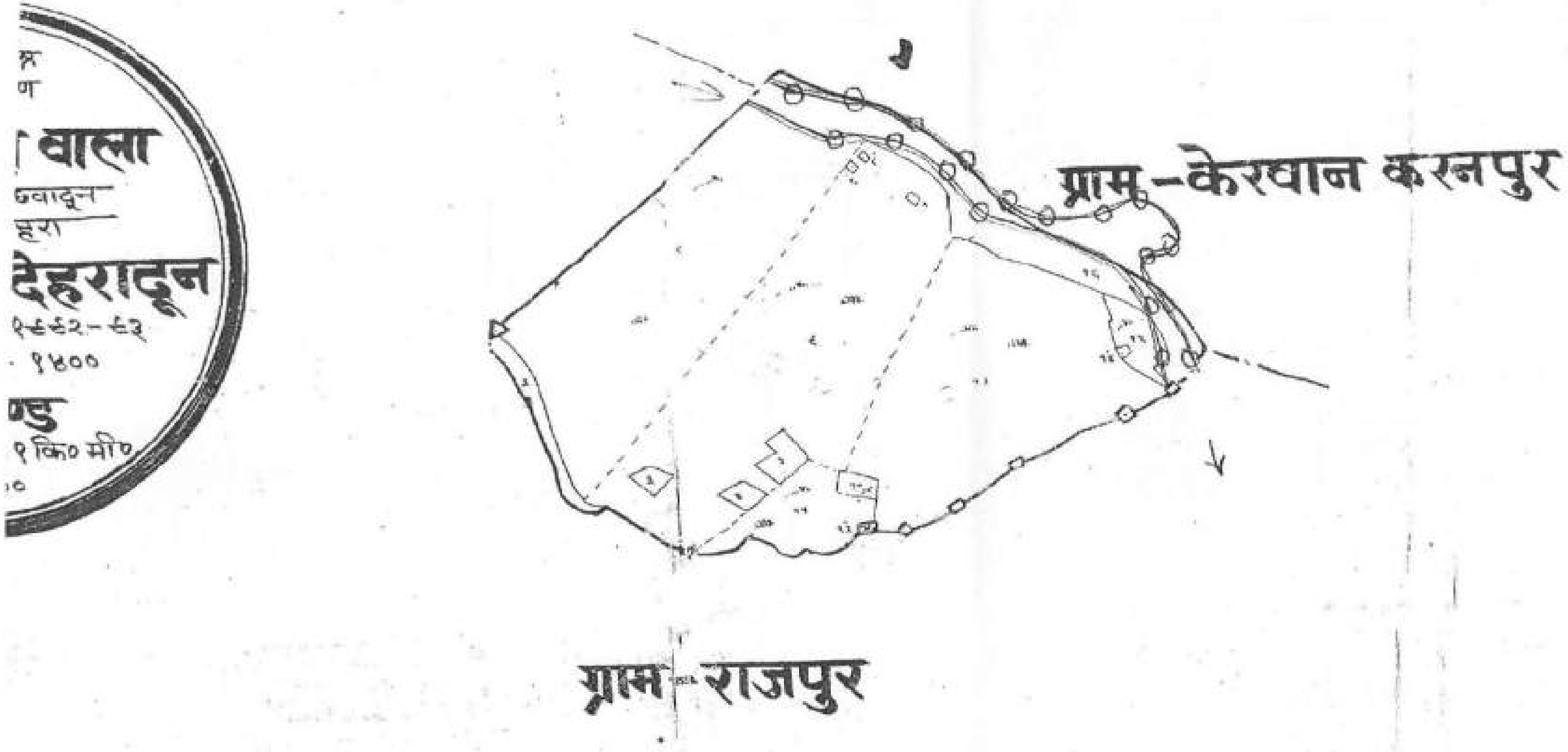

संकेत तालिका	
आबादी	
रास्ता	
नदी	
बंजर	
झाड़ी	
दोहद्द	
सेहद्द	

पूर्णांक नम्बर = १६.

(इज़हारुल हक)

अभिलेख अधिकारी

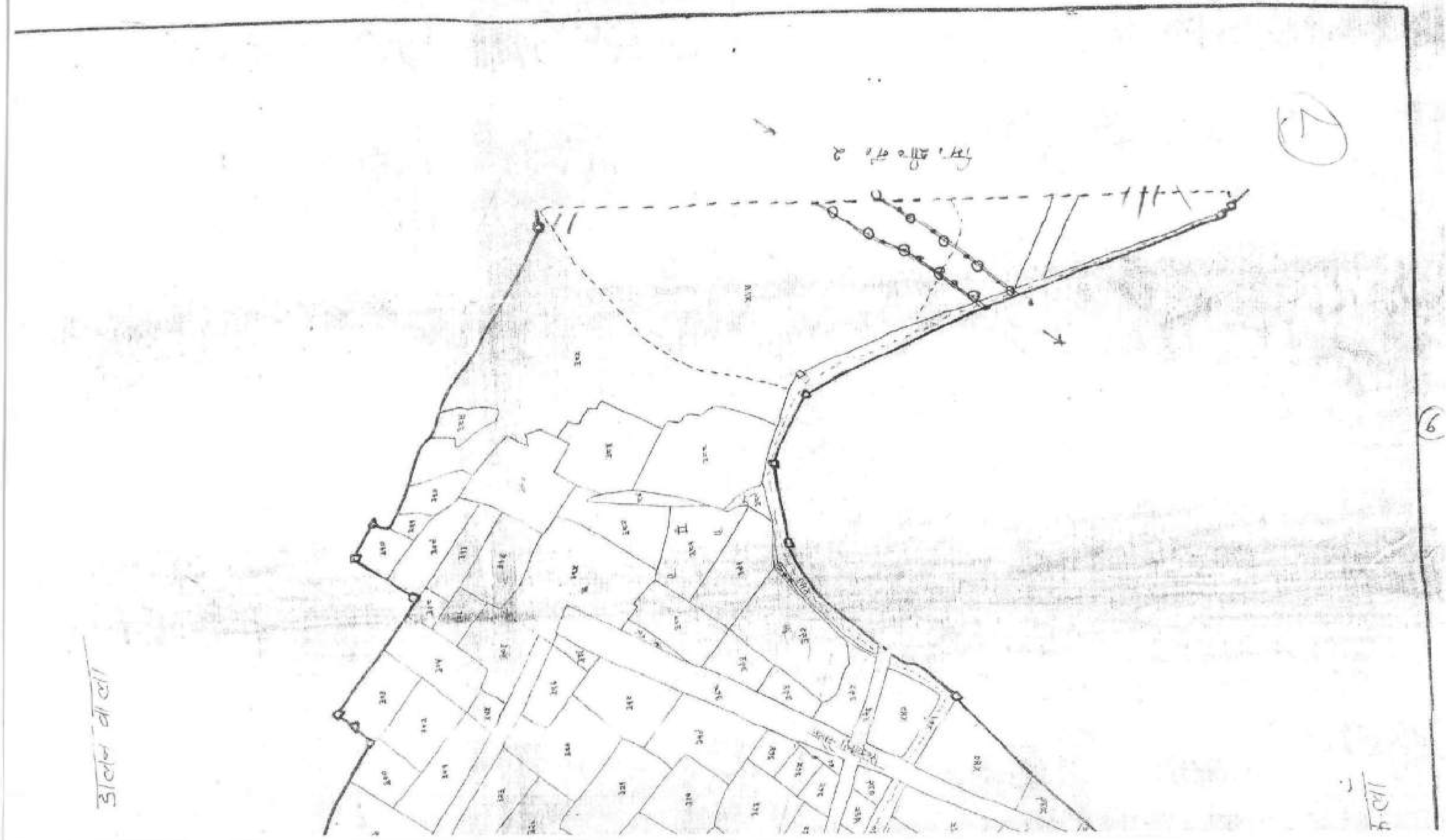

N
W E
S
भूचित्र
एक सर्वेक्षण
ग्राम --- मोथरोवाला
परगना ··· पछुवादून
तहसील ··· देहरा
जनपद देहरादून
ग्राम बन्जारोवाला
ग्राम केदार पुर
ग्राम भारु वाला
सरकारी जंगल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स–0135–2651060)

पत्रांक–2165/भूनि0/2024

दिनांक–20/07/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–206/एल0बी0सी0–2024, दिनांक–08.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 प्राधिकरण के आदेश दिनांक 13.05.2024 के प्रस्तर संख्या–10 में 02 माह के भीतर नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन कराने हेतु निर्देश दिये गये है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रगति व अद्यतन स्थिति सम्बन्धी सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रगति व अद्यतन स्थिति सम्बन्धी सूचना/अभिलेख व नगर निगम देहरादून द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल अनुपालन आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

Compliance Report on behalf of Nagar Nigam, Dehradun (Respondent No. 4)

In matter of

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand

1. That the Hon'ble Tribunal, in the above-noted matter in para no. 12 of the order dated 13.05.2024, was pleased to direct as under: -

   "...*12. Coming on the question of encroachment, Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun made a statement before Tribunal that all the encroachments made on Flood Plain Zone of the river concerned shall be removed by 30.06.2024.*"

2. That in compliance of the aforesaid directions, it is humbly stated that the Irrigation Department is the nodal agency for flood plain zoning. The Irrigation Department has informed Nagar Nigam, Dehradun that the process of flood plain zoning involves six steps out of which the following three steps have been completed:-

   i. Data Preparation, Flood Frequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation

   ii. Hydrological of Hydraulic flood flows for different return period using HEC-RAS

   iii. Preparing flood zone maps and reports, ground truth verification has been completed.

The remaining three steps are in process: -

i. Interim Notification and asking for objections and disposal.

ii. Final notification and marking of flood lines on Sharja Sheets.

iii. Installation of pillar at site.

In this connection copy of letter of the Irrigation Department is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this report.

3. That with regard to taking appropriate action for removal of the encroachment, it is crucial to state that vide Notification dated 26.07.2018 bearing no. 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018, the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 has been enacted. Section 4(2) and 4(3) of the said Act provides as under: -

"(2) Status quo may be maintained according to the situations as on dated 11.03.2016 in the matters described in sub-section (1) in addition to the matters related to any Judgment, decree and orders of the courts under the provisions given in sub-section (1)."

"(3) Any punitive action in consequence of all notices issued by any local body/authority in the related matters of unauthorized construction referred to in sub-section(1), shall be suspended for further three years from the commencement of this Act and no punitive action shall be taken during this period."

4. That the aforesaid provision was amended vide the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 and the period of three years was substituted with six years.

5. That in light of the immunity granted under Section 4 (2) and (3) of the Act of 2018 and the subsequent amendment made thereto in 2021, status quo has to be maintained and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside river Rispana till the year 2024.

6. Therefore, in order to identify and remove encroachment after 11.03.2016 as per the revenue record, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun formulated a Task Force to take necessary action. In this connection, copy of the letter dated 25.04.2024 vide which Task Force was formulated is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this report.

7. That the task force identified 89 encroachments on the land under control and jurisdiction of Municipal Corporation. Notices were issued to the encroachers on 08.05.2024, asking them to remove the encroachments voluntarily or face legal action by Nagar Nigam. The notices also requested evidence of residency before the cutoff date of 11.03.2016. In response, 47 residents submitted claims of residency before 11.03.2016 to Nagar Nigam, Dehradun. Only 20 of these claims were supported by valid proof, leading to their exclusion from the encroachment drive and the

same are not removed due to the Act of 2016. The remaining 69 encroachments were removed in accordance with the law on municipal land. In this connection copy of report is being marked and filed as **Annexure No. 3** to this report.

8. That the Hon'ble Tribunal was further pleased to issue the following direction in the last hearing: -

"...11. On the issue of discharge of polluting material through sewage (treated-not meeting the parameters/untreated) in the river, Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun, who is present in person, made a statement that he shall take all possible steps to ensure that within two months, no such discharge is allowed in the concerned river...."

9. That in compliance of the aforementioned directions, on 21.05.2024 a joint inspection was conducted by Municipal Commissioner, Nagar Nigam along with the Executive Engineer Jal Sansthan, Jal Nigam and UKPCB at the Rispana River and various directions were issued to the executing agencies. Further, in compliance of the directions issued by Nagar Nigam, Dehradun, Uttarakhand Peyjal Nigam informed that out of 199 drains, 167 drains have been tapped by interception and diversion of drains into Sewage Treatment Plants(STP). It is pertinent to mention that STPs have been set up and are under the control of the Jal Sansthan. Out of the remaining 32 untapped drains, No Action is required in 5 drains as these drains are either dried up or do not carry polluted water. Further, the Peyjal Nigam is laying sewer

lines for tapping of 2 drains which is under construction and the laying of sewer network in the catchment of 01 drain is in progress by UUSDA. The Sewer Network is already laid in the catchment of the remaining 24 drains and process of making household connections in to the existing sewer network is in progress by the Uttarakhand Jal Sansthan. After completion of that no discharge from these 24 drains will enter in to the river Rispana.
In this connection, copy of report is being marked and filed as **Annexure No.4** to this report.

10. That the Uttarakhand Jal Sansthan informed the Nagar Nigam, Dehradun that in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, the Jal Sansthan conducted a spot inspection/survey of the people residing on the banks of River Rispana. In the said survey it was found that 1284 were families residing on the bank of river Rispana, 676 families had their septic tank, 255 families had sewer connections. The remaining households' connections are in process by the Uttarakhand Jal Sansthan and will be completed in the due course of time as assured by Uttarakhand Jal Sansthan. In this connection, copy of report is being marked and filed as **Annexure No. 5** to this report.

11. That the Uttarakhand Pollution Control Board submitted an analysis report of water samples obtained from the laboratory taken from river Rispana, near Deep Nagar, Dehradun, River Rispana near Chunna Bhaata Dehrdaun and 20 MLD STP, Mothrowala to Dehradun Nagar Nigam, Dehradun which are all

within the standard parameters. In this connection copy of lab report is being marked and filed as **Annexure No.6** to this report.

12. It is pertinent to mention that Section 33 of the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as applicable in the State of Uttarakhand vests the water supply and sewerage services in the Jal Sansthan. The same is reproduced for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal: -

'...33. *Vesting of existing water supply and sewerage services in Jal Sansthans.-*

(1) Wherever a Jal Sans than is constituted by the State Government under Section 18-

(a) all the existing water supply services, and where the Jal Sansthan undertakes the functions specified in clause (ii) of Section 24 all the existing sewerage services, sewage works and sewage farms, including, as the case may be, all plants, machineries, waterworks, pumping stations, filter beds, water mains and public sewers in, along, over or under any public street, and all buildings, lands and other works, materials, stores and things appertaining thereto, belonging to or vested in every local body within the area of the Jal Sansthan;

(b) so much of the sub-soil appertaining to the said water mains and sewers as may be necessary for the purpose of enlarging, deepening or otherwise repairing or maintaining, any such water mains and sewers or any pipes and other appliances and of water tax and sewerage tax, by whatever name called, and of any cost or fees relating to water supply and sewerage services and also

including liabilities arising from any loans advanced by the Government or any other person to the said local body for the things aforesaid other than loans diverted to or utilised for purposes other than those referred to in clauses (a) and (b), shall with effect from the date of the constitution of the Jal Sansthan (hereinafter in this Chapter referred to as "the said date'), vest in and stand transferred to the Jal Sansthan and be subject to its control..."

****

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT

Annex – 1
IRRIGATION DEPT. REPORT
FLOOD PLAIN ZONING

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

प्रेषित,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक–2842/प0म0दे0/ दिनांकः– 12/07/2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–417/2022 के क्रम में देहरादून नगर निगम, क्षेत्र के रिस्पना नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण कार्य के अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2024 को अपराह्न 12.00 बजे आपके कार्यालय के आहूत बैठक में रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के विषय में चर्चा हुई, बैठक में आपके द्वारा दी गई वांछना अनुसार गठन के सम्बन्ध में वांछित आख्या संलग्न कर आपको आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
एवं बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

पत्रांकः– /अ0नि0ख0दे0/तदिनांक

प्रतिलिपि–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

F:\DRAWING SECTION\FORM\2024-25\rispna\...docx

(1)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0—417 / 2022 के कम मे देहरादून नगर निगम क्षेत्र के रिस्पना नदी के बाढ परिक्षेत्रण कार्य के अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु Suprintending Engineer, Hydraulic Circle, Bahadarabad (IRI Roorkee) Irrigation Department, Haridwar, Uttarakhand के अनुबंध सं0— 01/SE(HYD)/ FPZ/ 2020-21 में Visiontek Consultancy Services का चयन किया गया था। नगर निगम क्षेत्र देहरादून के अन्तर्गत रिस्ना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद के पत्र सं0—415 / ज0वि0ख0 / FPZ, दिनांक 15.05.2024 (सलंग्नक—1) के द्वारा सूचित किया गया कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं भौतिक सीमांकन हेतु Consultant की दो टीमें लगा दी गई है, दिनांक 15.05.2024 को Consultant की टीम के साथ इस खण्ड के सहायक अभियन्ताओ एवं अपर सहायक अभियन्ताओं द्वारा स्थल पर भौतिक सीमांकन का कार्य दिनांक 15.05.2024 से प्रारम्भ कर दिनांक 24.05.2024 को पूर्ण कर लिया गया है, भौतिक सीमांकन का कार्य पूर्ण होने की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सं0—1310 / अ0नि0ख0दे0 / FPZ, दिनांक 24.05.2024 (सलंग्नक—2) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद को प्रेषित कर लिया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद के उपरोक्त पत्रांक में सीमांकन के पश्चात प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रो में आने वाली सम्पतियो का ब्योरा तैयार कर बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 मे निहित प्राविधानो के अनुसार अंतरिम एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत की जाएगी एवं उसके बाद स्थाई स्तम्भ लगाए जाएगे, के कम में इस कार्यालय के पत्रांक सं0—1320 / अ0नि0ख0दे0 / बाढ मैदान परिक्षेत्रण, दिनांक 25.05.2024 (सलंग्नक—3) में जिलाअधिकारी महोदया को किन्ढ में सीमांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम—2012 के प्राविधानो के अनुसार प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रो मे आने वाली समस्त परिसम्पतियो के स्वामियों का विवरण तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों की समिती गठित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके कम में जिलाधिकारी महोदया के आदेश सं0—121 / एल0बी0सी0—2024 (सलंग्नक—4) के द्वारा विभिन्न विभागो की टीम का गठन निम्न प्रकार किया गया है।

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
4. उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।

F:\DRAWING SECTION\TOPAL\2024-25\...letters.doc

क्रमशः - 2

(2)

5. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद (आई0आर0आई0 रूडकी) हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।

जिलाधिकारी महोदया के उपरोक्त आदेश के कम में कार्यालय तहसीलदार (सदर) के पत्रांक सं0–1012/आर0सी0/2024, दिनांक 21.06.2024 (सलंग्नक–5) द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों के राजस्व उपनिरीक्षकों को वांछित अभिलेख सजरा सीट एवं बाढ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाली स्वामियों की परिसम्पती का विवरण अतिशीघ्र तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अवगत कराना है कि सम्बन्धित क्षेत्रों के राजस्व उपनिरीक्षको द्वारा दिनांक 06.07.2024 से प्रारम्भ कर आतिथि तक कार्य प्रगति पर है एवं बाढ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा में आने वाले विभिन्न विभागों की परिसम्पतियों का विवरण सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षकों को उपलब्ध/चिन्हित कराए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1739/अ0नि0ख0दे0, दिनांक 10.07.2024 (सलंग्नक–6) के द्वारा अवगत कराया गया है।

रिस्पना नदी के बाद मैदान परिक्षेत्रण कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद द्वारा किया जा रहा है, जिसकी Approch & Methodology का विवरण निम्नानुसार है।

1- Data Preparation, Flood Fequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation.
2- Hydrological an Hydraulic flood flows for Different return period uising HEC-RAS
3- Preparing flood zone maps and report preparation, Ground truth verification.
4- Interim Notification and asking for objections and disposal.
5- Final notification & Marking of flood lines on Shajra Sheets.
6- Installation of Pillars at Site.

माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा दिनांक 13.05.2024 को रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण का Demarcation हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके कम में दिनांक 12.07.2024 तक फिल्ड वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं उक्त Demarcation को सजरा सीट मे भी अंकित कर दिया गया है तथा बाढ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा मे आई परिसम्पतियों के स्वामियों के विवरण तैयार करने का कार्य राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा जारी है, जिसको पूर्ण करने के उपरान्त Flood Plain Zone का उपरोक्त बिन्दु सं0–01 से 06 तक का कार्य शासन स्तर द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।	अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मण्डल, देहरादून।

संलग्नक – 1

कार्यालय
अधिशासी अभियंता
जल विज्ञान खंड बहादराबाद

पत्रांक - 415 / ज.वि.ख./FPZ

दिनांक – 15.05.2024

विषय – रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 60/LBC-2024 दिनांक 13 मई 2024 एवं आपका पत्रांक 745/ज०वि०म०/एन०जी०टी० दिनांक 15.05.2024।

<u>अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद।</u>

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 13.05.2024 को सुनवाई में मा० एन० जी० टी० द्वारा रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का तत्काल सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरांत, भौतिक सीमांकन करने हेतु अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून एवं सिचाई खंड, देहरादून के सहयोग हेतु Consultant की दो टीम को लगा दिया गया है एवं सीमांकन का कार्य अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून द्वारा आज दिनांक 15.05.2024 को प्रारम्भ कर दिया गया है। सीमांकन के पश्चात् प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रो मे आने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा तैयार कर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम- 2012 में निहित प्राविधानो के अनुसार अंतरिम एवं अंतिम अधिसूचना निर्गत की जाएगी एवं उसके बाद स्थायी स्तम्भ (Pilar) लगाये जायेंगे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जयेंद्र सिंह)
अधिशासी अभियंता
जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद

<u>पत्रांक - 415 / ज.वि.ख./FPZ तद्दिनांक – 15.05.2024</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अधिशासी अभियंता, अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, देहरादून।

(जयेंद्र सिंह)
अधिशासी अभियंता
जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद

अनुलग्नक – 2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांकः– 1310 /अ0नि0ख0दे0/FPZ   दिनांकः 21/05/2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 415/जा0वि0म0/FPZ, दिनांक 15.05.2024।

जिलाधिकारी, महोदय देहरादून का पत्रांक 50/LBC-2024, दिनांक 13.05.2024।

<u>अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद, हरिद्वार।</u>

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक–1280/अ0नि0ख0दे0/FPZ, दिनांक 18.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के फील्ड में सीमांकन के पश्चात् नदी की चौड़ाई में हुई कमी के पश्चात् 25 साल एवं 100 साल की बाढ़ आवृत्ति में आने वाले Flood के Hydraulic Parameter यथा Discharge Density, Velocity, River Gradient, Scourdepth आदि का अध्ययन यदि आपके द्वारा पूर्ण करा लिया गया हो, तो उसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। दिनांक 22.05.2024 को नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के शेष रीच में Visiontech Consultancy Services के 02 कन्सलटेन्ट टीम के Mr. Litu Swain एवं Mr. Jhantu Pandit के द्वारा इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा का सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–तृतीय व सप्तम् की आख्या के क्रम में एवं अधोहस्ताक्षरी के साइट निरीक्षण करने पर रिस्पना नदी के राग भाग में कतिपय् स्थलो पर जो तथ्य उजागर हुये है, सारणी के अनुसार निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	स्थान/बिन्दु	चैनेज कि0मी0	25 वर्ष आवृत्ति के Flood हेतु में नदी की चौड़ाई (सीमांकन) मी0 में	100 वर्ष आवृत्ति के Flood हेतु मे नदी की चौड़ाई (सीमांकन) मी0 मे	सजरा के अनुसार नदी की चौड़ाई मी0 में।	सजरे के अनुसार नदी की चौड़ाई मे हो रही कमी (प्रतिशत मे)
1	R/357	17.85	26	30	–	–
2	L/368	18.40	16	18	–	–
3	एम0डी0डी0ए0 पुल R/379	18.95	15	16	100	86
4	अपर राजीव नगर पुल R/412	20.60	40	40	80	50
5	रिस्पना पुल L/432	21.60	35	48	76	37
6	रेलवे पुल L/446	22.30	98	100	92	–
7	रेलवे पुल L/446	22.30	98	100	92	–
8	रामनगर/R-466	23.30	34	34	96	65
9	सचिवालय कालोनी /R-480	24.30	47	70	100	30
10	नई बस्ती ब्रिज/R-536	26.80	50	68	120	46

उपरोक्त सारणी में यह पाया गया कि सजरे के अनुसार रिस्पना नदी में सीमांकन होने पर नदी की चौड़ाई में लगभग 30 से 86 प्रतिशत की कमी हो रही है। सीमांकन के पश्चात् नदी की चौड़ाई में हुई कमी के पश्चात् 25 साल एवं 100 साल की बाढ़ आवृत्ति में आने वाले Flood के Hydraulic Parameter यथा Discharge Density, Velocity, River Gradient, Scourdepth आदि का अध्ययन यदि आपके द्वारा पूर्ण करा लिया गया हो, तो उसकी पूर्ण रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि रिस्पना नदी में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागो यथा सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान, विधायक निधि आदि के द्वारा समय-समय पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये है। इस प्रकार जिन स्थलो पर दीवार का निर्माण किया गया है एवं जिन स्थलों पर दीवार का निर्माण कार्य नहीं किया गया, वहां पर 25 एवं 100 वर्ष की Flood Frequency से नदी की चौड़ाई मे अत्यधिक भिन्नता आ रही है, जिसकी व्यवहारिकता का परीक्षण यदि कन्सलटेन्ट द्वारा कर लिया गया हो, तो पुनः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में पूर्ण रिपोर्ट हार्ड एवं सोफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नकः- सजरा शीट की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांकः- 1310 /अ0नि0ख0दे0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद।
3. सहायक अभियन्ता- तृतीय व सप्तम् अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून को क्रमशः उनके पत्रांक-84/स0अ0-III/अ0नि0ख0दे0/FPZ, दिनांक 24.05.2024 एवं पत्रांक-56 स0अ0-VII/अ0नि0ख0दे0/FPZ, दिनांक 24.05.2024 के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

अनुलग्नक-3

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

जिला अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक– 1320 /अ०नि०ख०दे०/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/ दिनांकः– 25/5/2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपके कार्यालय पत्रांक 50/RDC–2024 दिनांक 13 मई 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के चैनेज–9.800 कि०मी० से 27.300 कि०मी० तक का बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीमांकन करने हेतु भेजी गई कन्सलटेन्ट टीम के साथ इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में कन्सलटेन्ट टीम के द्वारा 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है, जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग की नितान्त आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाने हेतु अपने स्तर से उक्त समस्त विभागों को निर्देशित करने एवं समिति गठित करने की कृपा करें, एवं इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद को भू–अभिलेख कार्यालय से सजरा एवं खसरा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु भू–अभिलेख कार्यालय को भी निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांकः– 1320 /अ०नि०ख०दे०/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद को उनके पत्रांक–415/ज०वि०ख०/FPZ दिनांक 15.05.2024 के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार सजरा सीट में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) को निर्धारित/अंकन करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता–तृतीय, पंचम एवं सप्तम् अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

संलग्नक-3

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

जिला अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांकः- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/ दिनांकः- 25/5/2024
विषयः- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन करने के सम्बन्ध मे।
सन्दर्भः- आपके कार्यालय पत्रांक 50/RBC-2024, दिनांक 13 मई 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान
खण्ड, बहादराबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के चैनेज-9.800 कि0मी0 से
27.300 कि0मी0 तक का बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीमांकन करने हेतु
भेजी गई कन्सलटेन्ट टीम के साथ इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की
उपस्थिति मे कन्सलटेन्ट टीम के द्वारा 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़
आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फील्ड में
सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के प्राविधानों के
अनुसार प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना
है, जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व
विभाग, नगर निगम देहरादून, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग की नितान्त
आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त
परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाने हेतु अपने स्तर से उक्त समस्त विभागो को निर्देशित
करने एवं समिति गठित करने की कृपा करें, एवं इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि जल विज्ञान खण्ड,
बहादराबाद को भू-अभिलेख कार्यालय से सजरा एवं खसरा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु
भू-अभिलेख कार्यालय को भी निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांकः- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/तद्‌दिनांकः-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद को उनके पत्रांक-415/ज0वि0ख0/FPZ दिनांक 15.05.2024 के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्रविधानो के अनुसार सजरा सीट में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) को निर्धारित/अंकन करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता-तृतीय, पंचम एवं सप्तम् अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

अनुसंधान एवं नियोजन 1693 07/06/24 देहरादून

: आदेश :

अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1126/ [illegible] दिनांक 29.05.2024 के द्वारा [illegible] किया गया है, कि [illegible] नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के [illegible] किलोमीटर [illegible] परियोजना का [illegible] कार्य पूर्ण करने के [illegible] [illegible] किया जाना है। [illegible] 25 [illegible] की सीमा [illegible] सीमांकन/चिन्हान का कार्य पूर्ण [illegible] किया गया है। सीमांकन/चिन्हान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त [illegible] परियोजना अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित एवं चिन्हित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है, जिस हेतु [illegible] खण्ड, [illegible] व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग द्वारा किया जाना है। सीमांकन/चिन्हान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त [illegible] परियोजना अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित एवं चिन्हित क्षेत्र में आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किये जाने हेतु निम्न प्रकार अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया जाता है:

01- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
02- नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
03- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
04- उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
05- अधिशासी अभियन्ता, [illegible] खण्ड, [illegible] ([illegible])।
06- अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है, कि [illegible] परियोजना अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित एवं चिन्हित क्षेत्र में [illegible] परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार कर अनुपालन आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय [illegible] सुनिश्चित करें।

दिनांक- 03.06.2024

[illegible]

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 121 /एल0ए0सी0-2024 — दिनांक [illegible] 2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
जिलाधिकारी महोदया को सादर सूचनार्थ।
02- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
03- नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।
04- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून/मसूरी।
05- उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।
06- अधिशासी अभियन्ता, [illegible] खण्ड, [illegible] ([illegible])
07- अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।

[illegible]

कार्यालय तहसीलदार देहरादून।

पत्रांक सं0–/०/2/आर0सी/2024

दिनांक–21.06.2024

1. राजस्व उपनिरीक्षक, चामासारी (मो0 6305575066)
2. राजस्व उपनिरीक्षक, जाखन (मो0 9368964692)
3. राजस्व उपनिरीक्षक, नालंग (मो0 9456517064)
4. राजस्व उपनिरीक्षक, गुच्चुपानी मानसिंह (मो0 8279451933
5. राजस्व उपनिरीक्षक, अधोईवाला (मो0 8279510757)
6. राजस्व उपनिरीक्षक, बद्रीपुर (मो0 9412381386)
7. राजस्व उपनिरीक्षक, अजबपुरकलां (मो0 9719422712)

जिलाधिकारी महोदया के आदेश 121/एल0पी0सी0–2024 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के प्राविधानों के अनुसार रिस्पना नदी का प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग द्वारा किया जाना है।

अतः जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में उपरोक्त टीम का गठन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद (आई0आर0आई0 रुड़की) हरिद्वार व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून के साथ समन्वय कर वांछित विवरण अतिशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद (आई0आर0आई0 रुड़की) हरिद्वार व अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

संलग्नक–6

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

1. उपाध्यक्ष देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, देहरादून।
4. उप जिलाधिकारी, (सदर), देहरादून
5. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद, (आई0आर0आई0 रूड़की)।

पत्रांकः– 1139/अ0नि0ख0दे0/ दिनांकः– 10/9/ 2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–जिलाधिकारी महोदया के पत्र–1012/आर0सी0/2024/दिनांक 21.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि वर्तमान में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण निम्न राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा तैयार किया जा रहा है।

1. राजस्व उपनिरीक्षक, चामासारी मो0–6395575065
2. राजस्व उपनिरीक्षक, जाखन मो0–9368964692
3. राजस्व उपनिरीक्षक, चालांग मो0–9456517064
4. राजस्व उपनिरीक्षक, गुजराड़ा मानसिंह मो0–8279451933
5. राजस्व उपनिरीक्षक, अधोईवाला मो0–8279510757
6. राजस्व उपनिरीक्षक, बद्रीपुर मो0–9412381385
7. राजस्व उपनिरीक्षक, अजबपुर कला मो0–9719422712

अतः आपसे अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्र में आने वाली अपनी भूमि के सम्पत्तियों का विवरण सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षकों को देने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
संख्या-1533/II-2014/06(103)/2013
देहरादून : दिनांक 6 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) में निहित प्राविधानों के अधीन संगत अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ परिक्षेत्रण के क्रियान्वयन प्रयोजनार्थ निम्नवत् समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी — अध्यक्ष
2. राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि (जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा) — सदस्य
3. जिले की सीमा में बाढ़ क्षेत्रानुसार कार्यरत सिंचाई विभाग के समस्त अधिशासी अभियन्ता जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिशासी अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा) — सदस्य
4. नगर निकाय के समूह "ख" व उससे उच्च अधिकारी — सदस्य
5. जिले की सीमा में बाढ़ क्षेत्रानुसार कार्यरत वन विभाग के समस्त प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
6. जनपदों में स्थापित/कार्यरत यथास्थिति विकास प्राधिकरण/अन्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, — सदस्य

उक्त समिति बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का सर्वेक्षण/चित्रण का अन्तिमीकरण कर बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारियों/जिलाधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर विहित रीति से अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा।

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

—2

पृ0 संख्या– 1533/II–2014/06 (103)/2013 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, (अवस्थापना/एफ0आर0डी0सी0) उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6. सचिव, आवास/शहरी विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिनस्थ प्राधिकरणों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
11. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त नगर निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
14. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07 वर्ष 2013)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–एक	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	2
2.	परिभाषाएं	2–3
	अध्याय–दो	
	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ	
3.	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	3–4
4.	बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियां और कृत्य	4
	अध्याय–तीन	
	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण	
5.	सर्वेक्षण	4
6.	सर्वेक्षण की शक्ति	4–5
7.	नुकसानी का संदाय	5
	अध्याय–चार	
	बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना	
8.	बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	5
9.	सार्वजनिक सूचनाएं	5–6
10.	आक्षेप	6
11.	राज्य सरकार का विनिश्चय	6–7
	अध्याय– पाँच	
	बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन	
12.	बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति	7
13.	शास्ति	8

1	2	3
14.	अपराध शमन करने की शक्ति	8
15.	अपील	8
16.	पुनरीक्षण	9

अध्याय– छः

प्रतिकर

17.	प्रतिकर का संदाय	9
18.	सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण	10
19.	प्रतिकर का ग्राहण नहीं होना	10
20.	अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरुद्ध आवेदन	10–11
21.	धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ	11
22.	विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना	11
23.	अधिनिर्णय के अधीन संदाय	11

अध्याय– सात

प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

24.	प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति	11–12

अध्याय– आठ

विविध

25.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा	12
26.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना	12
27.	सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण	12–13
28.	जुर्माने की वसूली	13
29.	न्यायालय की शक्ति	13
30.	नियम बनाने की शक्ति	13
31.	निरसन और अपवाद	14

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

INDEX

Section	Particular	Page No.
1	2	3
	CHAPTER-I	
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	15
2.	Definitions	15–16
	CHAPTER-II	
	FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS	
3.	Declaration of flood plain zoning	16
4.	Powers and functions of the Flood Zoning Authority	17
	CHAPTER - III	
	SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA	
5.	Survey	17
6.	Power to take up survey	17–18
7.	Payment of damages	18
	CHAPTER-IV	
	NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS	
8.	Declaration of intention of State Government to demarcate flood plains areas	18
9.	Public Notices	18
10.	Objections	19
11.	Decision of State Government	19–20
	CHAPTER-V	
	PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS	
12.	Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	20
13.	Penalty	21
14.	Power to Compound	21
15.	Appeal	21
16.	Revision	22

1	2	3
	CHAPTER-VI	
	COMPENSATION	
17.	Payment of compensation	22
18.	Determining the compensation and apportionment by consent	22–23
19.	Compensation not admissible	23
20.	Application against award	23–24
21.	Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20	24
22.	Decision enforceable as decree of civil court	24
23.	Payment under award	24
	CHAPTER-VII	
	POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION	
24.	Power to remove obstructions	24–25
	CHAPTER-VIII	
	MISCELLANEOUS	
25.	Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence	25
26.	Flood zoning Authority other officers to be public servants	25
27.	Protection of action taken in good faith	25
28.	Recovery of fine	25
29.	Power of Court	26
30.	Power to make rules	26
31.	Repeal and Saving	26

क्रम संख्या-10

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0-30/2013-14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 31/XXXVI(3)/2013/68(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012' पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।